



सूचना

एतद्वारा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त जनपदों के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता / निरीक्षण शुल्क पर सम्बद्धता शुल्क के अतिरिक्त कुल धनराशि का 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 महाविद्यालय हेतु निर्धारित है।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता / निरीक्षण शुल्क पर सम्बद्धता शुल्क के अतिरिक्त कुल धनराशि का 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 जमा करना अनिवार्य है, तथा उसकी प्रति वित्त विभाग से सत्यापनोपरान्त ही सम्बद्धता अनुभाग में स्वीकार किया जाएगा।

भवदीय

16/12/24

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 367 / सूचना / 2024

दिनांक- 16 / 12 / 2024

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।